②

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 199 / 2022

सुनिल जाखड, एडवोकेट, कोर्ट परिसर नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं मो0न0 9314468084

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 199 / 2022 पर दिनांक 07.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 2562 –63 दिनांक 07.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 708 दिनांक 23.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.05.2022 को निःशुल्क जरिये सहायक कर्मचारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 708 दिनांक 23.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.05.2022 को निःशुल्क जरिये सहायक कर्मचारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी को कार्मिकों संबंधी कुछ सूचनायें नही दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि [illegible] की द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.04 14:49:20 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं